(91)

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

R. 1487 PBR/12

नानूराम पिता काशीराम चौधरी, जाति काछी
निवासी– इमलीपुरा मोहल्ला,
राजपुर तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.) ––प्रार्थी

विरूद्ध

1– देवीलाल पिता काशीराम चौधरी जाति काछी
2– बलवंत पिता काशीराम चौधरी मृत तर्फे वारिसान
अ– अमरावती पति बलवंत चौधरी जाति काछी
ब– दिनेश पिता बलवंत चौधरी जाति काछी
स– महेश पिता बलवंत चौधरी जाति काछी
द– मुकेश पिता बलवंत चौधरी जाति काछी
सभी निवासी– इमलीपुरा मोहल्ला, राजपुर तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)
ई– सेवंतीबाई पिता बलवंत चौधरी जाति काछी
निवासी– ग्राम नागझिरी तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)
फ– जयंती पति देवा (पिता बलवंत चौधरी जाति काछी)
निवासी– ग्राम सेमल्दा तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)
ज– श्रीमती दीपमाला पति भुपेंद्र कुशवाह
निवासी– ग्राम नालछा तहसील व जिला धार (म.प्र.)
3– मोहन पिता काशीराम चौधरी
4– राजाराम पिता काशीराम चौधरी
दोनों निवासी– इमलीपुरा मोहल्ला, राजपुर तहसील राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)
5– श्रीमती गंगाबाई पति ठाकुरलाल जी (पिता काशीराम चौधरी)
निवासी– ग्राम ईमलीपुरा हटब्यडी राजपुर जिला बडवानी (म.प्र.)
6– श्रीमती जमनाबाई पति शिवनारायण
(पिता काशीराम चौधरी) मृत तर्फे वारिस
अ– चंचल पिता शिवनारायण गनवानी
ब– सचिन पिता शिवनारायण गनवानी
निवासी– राधाकृष्ण कालोनी, दशहरा मैदान के सामने बडवानी (म.प्र.)
––– प्रतिप्रार्थीगण

relented by Sr. Narendra Chaturvedi 23/5/12

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ।

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजपुर जिला बडवानी द्वारा प्रकरण कमांक 53/अपील/अ–6/2010–11 में आदेश दिनांक 31–10–2011 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करते हैं :–

प्रकरण के तथ्य :–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजपुर तहसील राजपुर जिला बडवानी में भूमि सर्वे 437/1/2 रकबा 0.10 एकड अर्थात 0.040 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व प्रतिप्रार्थीगण के पूर्वहितधारी काशीराम पिता गोविंद जाति काछी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अंकित रही है

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी1487-पीबीआर/2012 जिला बडवानी

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	